महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-3197/नौ-5-2013-381सा/2008

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2013

विषयः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत डोर-टु-डोर कूड़े के एकत्रीकरण, ढुलान, शोधन व निस्तारण हेतु निजी आपरेटर की टिपिंग शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं का निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कूड़े के डोर-टु-डोर एकत्रीकरण, ढुलान, शोधन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। निजी परिसरों व चिन्हित सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा एकत्र कर लैण्डफिल साइट तक उसके ढुलान व निस्तारण हेतु निजी आपरेटर को टिपिंग शुल्क के भुगतान का प्रावधान है। स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित/निर्धारित दरों के आधार पर यूजर चार्जेज को संग्रहीत किये जाने का दायित्व निजी ऑपरेटर को दिया गया है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपरेटर्स को यूजर चार्जेज को संग्रह करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा में यूजर चार्जेज की वसूली आपरेटरों द्वारा नहीं हो पा रही है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों द्वारा टिपिंग शुल्क का भुगतान कन्सेशन एग्रीमेन्ट के अनुरूप समयानुसार नहीं हो पा रहा है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

(1) अधिसूचित दरों के आधार पर कम से कम प्रथम तीन वर्ष तक सम्बन्धित नागर स्थानीय निकाय द्वारा ही यूजर चार्जेज को संग्रहीत किये जाने का बिल निर्गत किया जायेगा।

(2) निर्गत किये गये बिल के अनुसार वसूली की कार्यवाही निजी ऑपरेटर द्वारा की जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही में सम्बन्धित नागर स्थानीय निकाय द्वारा निजी ऑपरेटर को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(3) यूजर चार्जेज न देने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध सम्बन्धित नागर स्थानीय निकाय द्वारा तत्सम्बन्ध में सुसंगत नियमों के अनुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूजर चार्जेज के सन्दर्भ में उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3197(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- समस्त मा0 महापौर, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।